न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रकरण संख्या 06/2002

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर। ....*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री गोविन्द गर्ग पाटनर्स फर्म मै0 अवन्तिका एन्टरप्राईजेज, रावण की बगीची, अजमेर।
2. श्री महेन्द्र गोयल/श्री डी.एन.गर्ग पार्टनर फर्म मै0 अवन्तिका एन्टरप्राईजेज रावण की बगीची, अजमेर।
3. मै0 अवन्तिका एन्टप्राईजेज जरिये पार्टनर फर्म मैसर्स गोविन्द गर्ग एवं श्री महेन्द्र गोयल, रावण की बगीची, अजमेर।
4. श्री मुकेश शर्मा, विकय प्रबन्धक (एल.पी.जी.) इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0 दौराई, अजमेर। ....**अप्रार्थीगण**

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित ;... 1. श्री नीरज जैन प्रर्वतन अधिकारी पैरोकार सरकार

<u>*आदेश*</u> दिनांक– 29.01.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सुश्री रेणु जयपाल जिला रसद अधिकारी, अजमेर के नेतृत्व में प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मय निरीक्षक दल के अप्रार्थी फर्म मैसर्स अवन्तिका एन्टरप्राईजेज गैस एजेन्सी (आई.ओ.सी.) रावण की बगीची, अजमेर का निरीक्षण पार्टनर श्री गोविन्द गर्ग की उपस्थिति में किया गया। फर्म मैसर्स अवन्तिका एन्टरप्राईजेज, 424/24 रावण की बगीची, अजमेर को शहरी क्षेत्र घनी आबादी के बीच होने कारण 300 किलोग्राम एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर (भरे हुए) भण्डारण हेतु विस्फोटक नियंत्रण फरीदाबाद द्वारा अनुज्ञापत्र जारी किया गया। फर्म के गैस सिलेण्डरों का भौतिक सत्यापन किया जाने पर फर्म के उक्त गैस गोदाम में 70 घरेलू एल. पी.जी. तथा 19 व्यवसायिक सिलेण्डर भरे हुए भण्डारित होना पाया गया, जो स्वीकृत क्षमता 300 किलोग्राम से अधिक थे। इस प्रकार अप्रार्थी फर्म द्वारा उक्त गोदाम में नियत्रंण क्षमता से अधिक गैस का भण्डारण कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञा पत्र एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के तहत जारी अनुज्ञा पत्र की शर्त संख्या 11 (1) (5) की एवं विस्फोटक नियंत्रण द्वारा जारी निर्देशों की अवेहलना किया पाये जाने पर मौके पर ही गैस गोदाम 424/24 रावण की बगीची, अजमेर में भण्डारित 70 घरेलू तथा 19 व्यवसायिक एल.पी.जी. सिलेण्डर सुरक्षा की दृष्टि से राज्य हित में सीज किये जाकर श्री कैलाश नाथ भाटी, गैस सुपरवाईजर अजमेर, सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि0, अजमेर को सुपुर्दगी में दिये गये। चूंकि फर्म अवन्तिका एन्टरप्राईजेज द्वारा जन सुरक्षा के दायित्व के प्रति प्रतिबद्धता के स्वीकृत क्षमता से अधिक एल.पी.जी.गैस सिलेण्डरों का भण्डारण कर गैर जिम्मेदाराना कृत्य किया है। लिहाजा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत कब्जे राज लिये गये 70 घरेलू तथा 19 व्यवसायिक एल.पी.जी. सिलेण्डर (भरे हुए) को राजसात करने के आदेश हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया। जिस पर उभय पक्ष को सुना जाकर कब्जे राज लिये गये 70 घरेलू तथा 19 व्यवसायिक एल.पी.जी. सिलेण्डर (भरे हुए) को जब्त सरकार किये जाने का आदेश पारित किया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त आदेश दिनांक 05.06.2004 के विरूद्व न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सं0 03, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जो आदेश दिनांक 24.8.2004 से स्वीकार की जाकर न्यायालय हाजा (जिला कलक्टर, अजमेर) का

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

Sharma

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

आक्षेपित आदेश दिनांक 5.6.2004 अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के प्रतिप्रेषित किया कि वे दोनों पक्षों को दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्य पेश करने का अवसर देने एवं क्रोस का अधिकार देने के पश्चात उचित आदेश पारित करे।

माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सं0 03, अजमेर के उक्त आदेश की पालना में प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया जाकर उभय पक्ष को साक्ष्य हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया। प्रार्थी साक्ष्य हेतु सुश्री रेणु जयपाल, तत्कालीन जिला रसद अधिकारी, श्री कमल प्रकाश कँवरिया, तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर व कैलाशनाथ भाटी सपुरवाईजर अपना बाजार, के बयान दर्ज करवाये जाकर अभिभाषक अप्रार्थी की जिरह पूर्ण करवाई गई। अप्रार्थी साक्ष्य हेतु श्री गोविन्द गर्ग पुत्र श्री रामलाल गर्ग द्वारा अवन्तिका गैस एजेन्सी, रावण की बगीची अजमेर के लिखित बयान प्रस्तुत किये गये, किन्तु जिरह हेतु उपस्थित नही आने पर जिरह पूर्ण नहीं हो सकी। अभिभाषक अप्रार्थी0 को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई। अभिभाषक अप्रार्थी0/अप्रार्थीगण दिनांक 29.8.2019 एवं 26.9.2019 को साक्ष्य/सुनवाई हेतु हाजिर अदालत नहीं आने पर उन्हें न्यायहित में अन्तिम मौका प्रदान किया गया। तत्पश्चात भी उन्हे लगातार समय दिया गया। इसके बावजूद अभिभाषक अप्रार्थीगण/अप्रार्थीगण दौराने सुनवाई दिनांक 15.1.2020 को बार–बार आवाजे लगवाने उपरान्त भी हाजिर अदालत नहीं आयें। उपस्थित पैरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाही गई। हमने रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया, चूकि प्रकरण अत्यधिक पुराना है एवं काफी समय से लम्बित होने के मध्यनजर उपस्थित पैरोकार सरकार को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कथन किया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत तत्कालीन जिला रसद अधिकारी, अजमेर के नेतृत्व में प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मय निरीक्षक दल के अप्रार्थी फर्म मैसर्स अवन्तिका एन्टरप्राईजेज गैस एजेन्सी (आई.ओ.सी.) रावण की बगीची, अजमेर का निरीक्षण पार्टनर श्री गोविन्द गर्ग की उपस्थिति में किया गया। फर्म के गैस सिलेण्डरों का भौतिक सत्यापन पर फर्म के उक्त गैस गोदाम में 70 घरेलू एल.पी.जी. तथा 19 व्यवसायिक सिलेण्डर भरे हुए भण्डारित होना पाया गया, जो अप्रार्थी एजेन्सी के इस गोदाम हेतु जारी स्वीकृत क्षमता 300 किलोग्राम से अधिक थे। इस प्रकार अप्रार्थी फर्म द्वारा उक्त गोदाम में नियत्रंण क्षमता से अधिक गैस का भण्डारण कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञा पत्र एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के तहत जारी अनुज्ञा पत्र की शर्त संख्या 11 (1) (5) की एवं विस्फोटक नियंत्रण द्वारा जारी निर्देशों की अवेहलना किया पाये जाने पर मौके पर ही गैस गोदाम 424/24 रावण की बगीची, अजमेर में भण्डारित 70 घरेलू तथा 19 व्यवसायिक एल.पी.जी. सिलेण्डर सुरक्षा की दृष्टि से राज्य हित में सीज किये जाकर श्री कैलाश नाथ भाटी, गैस सुपरवाईजर अजमेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि0, अजमेर को सुपुर्दगी में दिये गये। चूंकि फर्म अवन्तिका एन्टरप्राईजेज द्वारा जन सुरक्षा के दायित्व के प्रति प्रतिबद्धता के विरूद्ध स्वीकृत क्षमता से अधिक एल.पी.जी.गैस सिलेण्डरों का भण्डारण कर गैर जिम्मेदाराना कृत्य किया है। लिहाजा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत कब्जे राज लिये गये 70 घरेलू तथा 19 व्यवसायिक एल.पी.जी. सिलेण्डर (भरे हुए) को राजसात करने के आदेश हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया। जिस पर उभय पक्ष को सुना जाकर कब्जे राज लिये गये 70 घरेलू तथा 19 व्यवसायिक एल.पी.जी. सिलेण्डर (भरे हुए) को जब्त सरकार किये जाने का आदेश पारित किया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त आदेश दिनांक 05.06.2004 के विरूद्ध न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सं0 03, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जो आदेश दिनांक 24.8.2004 से स्वीकार की जाकर न्यायालय हाजा (जिला कलक्टर, अजमेर) का

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

Sharma
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

आक्षेपित आदेश दिनांक 5.6.2004 अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के प्रतिप्रेषित किया कि वे दोनों पक्षों को दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्य पेश करने का अवसर देने एवं क्रोस का अधिकार देने के पश्चात उचित आदेश पारित करे। माननीय सैशन न्यायालय के उक्त आदेश की पालना में अप्रार्थी को साक्ष्य हेतु समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद उनके द्वारा केवल अप्रार्थी संख्या 01 श्री गोविन्द गर्ग पार्टनर मैसर्स अवन्तिका गैस एजेन्सी के लिखित बयान साक्ष्य हेतु पेश किये किन्तु जिरह हेतु उपस्थित नहीं आये। वहीं प्रार्थी द्वारा सुश्री रेणु जयपाल, तत्कालीन जिला रसद अधिकारी, श्री कमल प्रकाश कॅवरिया, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर व कैलाशनाथ भाटी के सपुरवाईजर अपना बाजार, के दर्ज बयान जिरह से अप्रार्थी द्वारा जन सुरक्षा के दायित्व के प्रति प्रतिबद्धता की अवहेलना करते हुए स्वीकृत क्षमता से अधिक एल.पी.जी.गैस सिलेण्डरों का भण्डारण किया जाना सिद्ध है। अतः जब्तशुदा 70 घरेलू तथा 19 व्यवसायिक एल.पी.जी. सिलेण्डर (भरे हुए) को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत राजसात करने के आदेश प्रदान करावें।

हमने पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया, रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत तत्कालीन जिला रसद अधिकारी, अजमेर के नेतृत्व में प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मय निरीक्षक दल के द्वारा वक्त निरीक्षण/भौतिक सत्यापन पर अप्रार्थी फर्म मैसर्स अवन्तिका एन्टरप्राईजेज गैस एजेन्सी (आई.ओ.सी.) रावण की बगीची, अजमेर के गैस गोदाम में 70 घरेलू एल.पी.जी. तथा 19 व्यवसायिक सिलेण्डर भरे हुए भण्डारित होना पाया गया, जो उनकी एजेन्सी को इस गोदाम हेतु जारी स्वीकृत क्षमता 300 किलोग्राम से अधिक थे। माननीय सैशन न्यायाधीश के आदेशानुसार उभय पक्ष को साक्ष्य हेतु समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद अप्रार्थी जरिये साक्ष्य/दस्तावेज यह साबित नहीं कर पाये कि उनके द्वारा वक्त निरीक्षण/भौतिक सत्यापन एजेन्सी के गैस गोदाम में स्वीकृत क्षमता 300 किलोग्राम से अधिक गैस सिलेण्डरों का भण्डारण नहीं किया गया था। अप्रार्थी गोविन्द गर्ग द्वारा अपने लिखित बयानों में भी यह स्वीकार किया गया है कि उनकी गैस एजेन्सी के उक्त गोदाम में 300 किलोग्राम एल.पी.जी. का ही भण्डारण स्वीकृत है। प्रार्थी साक्ष्य, सुश्री रेणु जयपाल, तत्कालीन जिला रसद अधिकारी, श्री कमल प्रकाश कॅवरिया, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर व कैलाशनाथ भाटी के सपुरवाईजर अपना बाजार, के बयान/जिरह से प्रार्थना पत्र तथ्यों की पुष्टि होती है। अप्राथी0 द्वारा शहरी क्षैत्र की घनी आबादी की बीच स्थित उक्त गोदाम में नियत्रंण क्षमता से अधिक गैस का भण्डारण कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञा पत्र एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के तहत जारी अनुज्ञा पत्र की शर्त संख्या 11 (1) (5) की एवं विस्फोटक नियंत्रण द्वारा जारी निर्देशों की अवेहलना किया जाना साबित है। अतः प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्त शुदा जब्तशुदा 70 घरेलू तथा 19 व्यवसायिक एल.पी.जी. सिलेण्डर (भरे हुए) को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत राजसात किया जाता हैं। जिला रसद अधिकारी, अजमेर उक्त सिलेण्डरों का नियमानुसार निस्तारण कर प्राप्त राशि राज्य कोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 29.01..2020 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner